33/2018

गोरधनराम बनाम तुलसी

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/02/2019	वकील अपीलाण्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित। बहस एकपक्षीय सुनी गई। रेस्पोडेन्टगण को जारी नोटिस अदम तामिल लौटने पर वकील अपीलाण्ट के निवेदन पर रेस्पोडेन्टगण के नोटिस प्रचलित समाचार पत्र में साया करवाया गया। अभिलेख का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जैर अपील नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा नामान्तरकरण संख्या 699 दिनांक 07.04.1994 को अपास्त कराने का निवेदन किया। जैर अपील नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जैर अपील नामान्तरकरण मिसरी लाल के फौत होने पर भरा गया। अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को मृतक मिसरीलाल के विधिक वारिसान इन्द्रा का पुत्र होना बताते हुए हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत अपना नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में इन्दर्राज करवाने का अनुतोष चाहा है। चूंकि रेस्पोडेन्ट बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहे हे, तथा अपीलाण्ट द्वारा जो कथन एवं मृतक मिसरी लाल का जो सजरा खानदान जाहिर किया है वह अखण्डित है जैर अपील नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तरकरण मात्र तुलसी के नाम दायर किया है, जबकि मिसरी के पुत्र व पुत्रियां भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिसरी लाल की खातेदारी भूमि में अपने हक हकुक के निर्धारण की अधिकारी है। मिसरीलाल की मृत्यु होने पर सम्बधित पटवारी हल्का ने बिना जांच किये बिना कोई साक्ष्य लिये उक्त भूमि का म्युटेशन नम्बर 699 तुलसीदेवी के नाम भरा गया मिसरीलाल के समस्त विधिक वारिसान कि समुचित जांच नही की गयी। इस कारण अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है, तथा ग्राम सिरीयारी, तहसील मारवाड जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 699 पर नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 07.04.1994 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार मारवाड जंक्शन को प्रति प्रेषित किया जाता है कि मिसरीलाल के विधिक वारिसान की जाचं कर पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधिनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे, बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार हो कर नम्बर से कम हो। अति. जिला कलक्टर, पाली अति. जिला कलेक्टर, पाली	